

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला—मुंगेली (छ.ग.)

PH. NO. 07755-264140

email. Id. mungelideo@gmail.com

क्रमांक /५८६७/ मान्यता अनुमति / २०१८-१९

मुंगेली दिनांक १.२./१.२/२०१८

/ नवीनीकरण // संशोधन //

प्रति,

प्रबंधन वर्ग

ग्रा. हुगा रिश्वाणा समिति
लोरकी
जिला मुंगेली (इ.प्रभ.)

विषय :-

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम (4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र दिनांक २०/०९/२०१८ के संदर्भ में और एतद विषयक

विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरान्त में ग्रा. हुगा रिश्वाणा समिति
जिला मुंगेली (इ.प्रभ.) (विद्यालय का नाम पता सहित) को कक्षा ८वीं से छठवीं तक
के माध्यम टिकटी/अंगूष्ठी लिए ३ वर्षों की अवधि के लिए जो ०१/०४/२०१८ से ३१/०३/२०२१
तक प्रभावशील रहेगा, अस्थायी मान्यता/अनुमति प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :—

1. मान्यता की स्वीकृति, परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा ८वीं के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का कानून 2009 (एनेक्सर) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून (एनेक्सर 2) विद्यालय के लिए बंधनकारी होगा।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा पहली की दर्ज संख्या का 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं की रिस्ति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद ३ में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12(2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न बच्चे का यह उसके माता-पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण-पत्र के अमाव में, साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्मस्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि—
 - (क) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला-जायेगा।
 - (ख) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
 - (ग) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
 - (घ) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

	(ङ) कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।
	(च) शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताओं सहित नियुक्त किये जाते हैं। 5 वर्ष समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएँ प्राप्त करेंगे।
	(छ) शिक्षकों को देय वेतन एवं भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्त कानून के खण्ड 23(3) के 18 के उपनियम (1) के तहत सरकार द्वारा यथा अनशंसित होगी।
	(ज) शिक्षक कानून के खण्ड 24(1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।
8.	विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
9.	विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपत्तिक छात्रों को प्रवेश देगा।
10.	विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाए रखेंगे। विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल <ul style="list-style-type: none"> • कुल निर्माण का क्षेत्रफल • खेल के मैदान का क्षेत्रफल • अध्यापन कक्षाओं की संख्या • प्रधान पाठ्यकार सह कार्यालय सह भंडार हेतु कक्ष • बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय • पेयजल सुविधा • मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु किंचन • बाधारहित पहुंच • शिक्षण अधिगम् सामग्री/ खेलकुद के उपकरण/ पुस्तकालय की उपलब्धि
11.	विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा।
12.	विद्यालय भवन या अन्य निर्माण मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवसीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
13.	विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एकट 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
14.	विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति, समूल या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
15.	लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेन्ट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए।
16.	आपके विद्यालय को आवंटित साथ किसी भी प्रत्राचार में इसे मान्यता कोड नंबर..... 741..... है। इस कार्यालय के कृपया अंकित किया जाए।
17.	विद्यालय समय-समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों की सतत पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/राज्यानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
18.	अन्य शर्त एनेक्सर 3 के अनुसार संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला – मुंगेली छ.ग.